प्रेषक,

सुनील गुप्ता,
सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित न्यायालय,
जनपद गाजीपुर।

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार (M),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

विषय : **L.L.M की डिग्री पर तीन वेतन वृद्धि के स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में (G.O. No. 8/2018/279/ 11-04-2018-45 (12)/91 T.C. dated 13-04-2018)**

महोदय,

सविनय निवेदन है कि पत्रांक सं0–अधि0 1179/Admin (services) 2020 Allahabad dated 08.06.2020 के अनुपालन में ससम्मान अवगत कराना है कि मैंने दिनांक 09.06.2020 से अपर सिविल जज (जू0डि0) गाजीपुर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। मैंने सन् 2012 में L.L.M काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा G.O.No.8/2018/279/11-04-2018-45(12)/91 T.C. dated 13-04-2018 के माध्यम से विधि में स्नात्कोत्तर उपाधि धारक उत्तर प्रदेश राज्य की न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदत्त की गयी है।

अतः श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि प्रार्थी को उपरोक्त शासनादेश के परिपेक्ष्य में तीन वेतन वृद्धि किये जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु रखे जाने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 17.06.2022

भवदीय

17/06/2022

(सुनील गुप्ता)
सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित न्या0,
गाजीपुर।
ID N0- UP3805

संलग्नक–

1- L.L.M की ग्रेड कार्ड की छायाप्रति
2- L.L.M की डिग्री की छायाप्रति
3- पदभार ग्रहण प्रमाणपत्र